

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 08 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 240000/- (दो लाख चालीस हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 340000/- (तीन लाख चालीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, उम्र पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )/ दावेदार	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का बीमा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मन्मू चौहान, 19, सामान्य	श्री मकसूदन चौहान(पिता)	187/06.08. 2019	ग्रा०-कुसुरुपा, पो०-सरेजा, था०-राजपुर, प्र०-चौसा, बक्सर	33708397 442	SBI, SAREJA, SBIN0004768	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में रेजा का कार्य
2	स्व० दया शंकर सिंह, 29, श्री विजय बहादुर सिंह, सामान्य	श्रीमती गुडडी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-पड़री, पो०-चुरामनपुर, था०-बक्सर(औ०), प्र०+जि०-बक्सर	70280100 085306	MBGB CHURAMANPUR, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मिट्टी गिलावा का कार्य
3	स्व० जिऊत यादव, 32, श्री गया यादव, सामान्य	श्रीमती सुनिता देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-उमरपुर, था०-बक्सर (औ०), प्र०+जि०-बक्सर	13110017 00018656	PNB, PUNB0131100	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
4	स्व० संजय कुमार गुप्ता, 30, श्री गोपाल साह, सामान्य	श्रीमती संध्या देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-महिला, था०+प्र०-इटाढ़ी, बक्सर	22395300 919	Allahabad Bank, Itarhi, ALLA0210220	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं गैर कृषि कार्य
5	स्व० सुग्रीव सिंह, 42, श्री हरिन्दर सिंह, सामान्य	श्रीमती कमला देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-नई बाजार महिला, पो०+था०+प्र०+जि०-बक्सर	35851418 317	SBI, NAI BAZAR, SBIN0012611	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, इलेक्ट्रिकल व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० कपिल राम, 53, श्री रामचन्द्र राम, अनु० जाति	श्रीमती रामकुमारी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-जयपाल डेरा(चक्की), पो०+प्र०-चक्की, था०-ब्रह्मपुर, बक्सर	15470001 00204684	PNB DUMRI, PUNB0154700	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि कार्य
7	स्व० धर्मेन्द्र पासवान, 31, श्री रामनाथ पासवान, सामान्य	श्रीमती सुधरी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-तेतहर बिन्द टेली, पो०+था०-सिकरौल, प्र०-नावानगर, बक्सर	70171700 078480	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बेलांव PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं अन्य प्रतिष्ठानों में मजदूरी
8	स्व० इंद्रीस अंसारी, 62, श्री मुस्तकीम अंसारी, सामान्य	श्रीमती मरियम बेगम (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-बुढ़ाडीह, पो०-सगरांव-मगरांव, था०-राजपुर, प्र०-चौसा, बक्सर	34726180 430	SBI BUXAR, SBIN0004768	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रजमिस्त्री
9	स्व० ददन हजाम, 58, स्व० श्री किशुन हजाम, सामान्य	श्रीमती विमला देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-सतुहडी, पो०-दिवान के बड़का गाँव, था०-सिकरौल, प्र०-नावानगर, बक्सर	70170700 050450	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बेलांव PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दैनिक मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 340000/-

(तीन लाख चाली हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-14/2019 के पृष्ठ-15/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-14/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-14/2019-343

पटना, दिनांक :- 10-10-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 340000/- (तीन लाख चालीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।